अध्याय-5: निधि प्रबंधन

5.1 प्रस्तावना

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना है और पीएमजीएसवाई-।।[1] (मई 2013 में शुरू की गई) सामान्य क्षेत्रों में 75:25 और प्रमुख क्षेत्रों[2] में 90:10 के अनुपात में केन्द्र एवं राज्यों के बीच लागत विभाजन आधार पर है। 2013-14 तक, भारत सरकार ने राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (एसआरआरडीए) को सीधे निधियां जारी की थीं। हालांकि, 2014-15 से निधियों को राज्य समेकित निधि से जारी किया जाता था और राज्य सरकारों से अपेक्षित था कि वह निधियों की प्राप्ति के तीन कार्यदिवसों के भीतर एसआरआरडीए की यह निधियां अंतरित कर दें।

नीचे **चार्ट-5.1** पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निधियों के प्रवाह को दर्शाता है:

चार्ट - 5.1: निधि प्रवाह

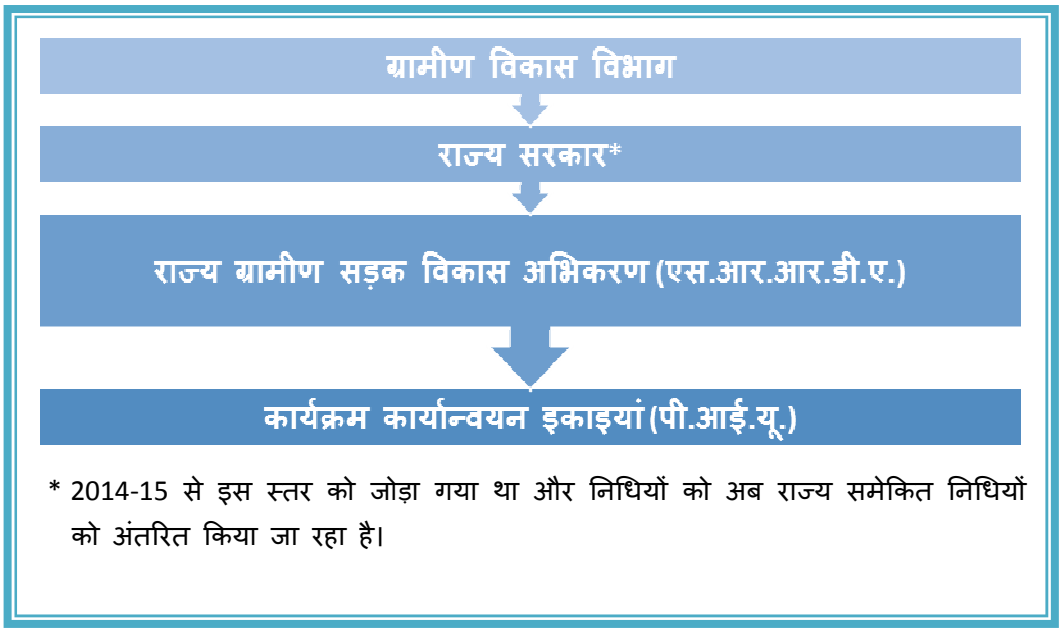

* 2014-15 से इस स्तर को जोड़ा गया था और निधियों को अब राज्य समेकित निधियों को अंतरित किया जा रहा है।

[1] पीएमजीएसवाई-।। के अंतर्गत, मंत्रालय ने केवल दो राज्यों अर्थात् हरियाणा और कर्नाटक को मार्च 2015 तक क्रमश: ₹244.87 करोड़ और ₹235.22 करोड़ की निधियां जारी की थीं।

[2] विशेष वर्ग के राज्य (।।) डीडीपी क्षेत्र, अनुसूची-V क्षेत्र बीआरजीएफ व आईए जिले

एसआरआरडीए ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत तीन अलग खातें अर्थात् कार्यक्रम निधि खाता, प्रशासनिक खर्च निधि खाता और रखरखाव निधि खाता रखे थें जिनका विवरण **चार्ट-5.2** में दिया गया है:

चार्ट 5.2 : एसआरआरडीए द्वारा अनुरक्षित खाते

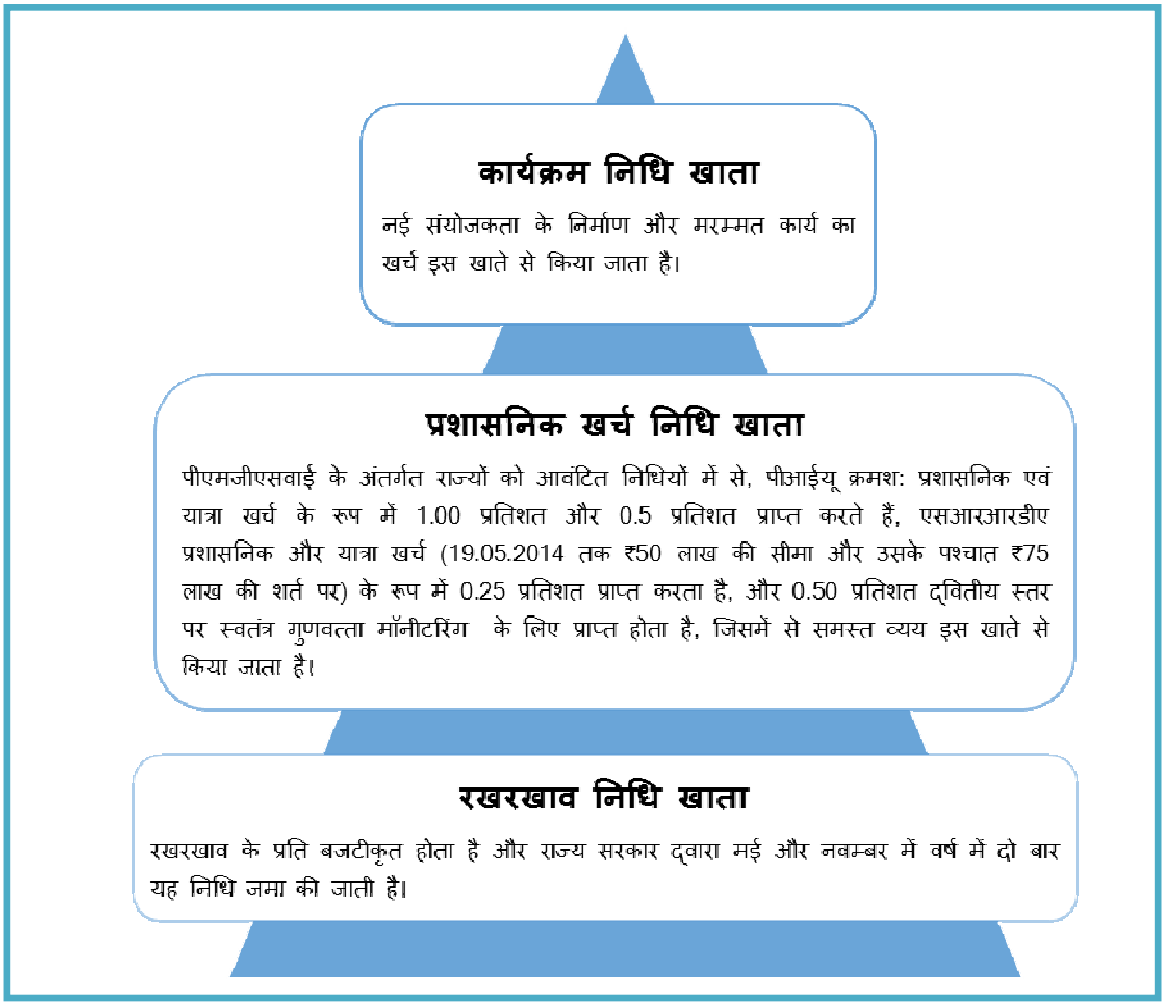

5.2 योजना अवधि के दौरान प्रगति

कार्यक्रम की शुरूआत करते समय, मंत्रालय ने अनुमान लगाया (दिसम्बर 2000) कि 1.41 लाख बस्तियों को संयोजकता प्रदान करने और मौजूदा ग्रामीण सड़कों का सुधार करने के लिए ₹58,200 करोड़ की आवश्यकता होगी। भारत सरकार (भा.स.) ने परिकल्पित किया कि 1000 (पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों के मामले में 500) और अधिक की जनसंख्या वाली बस्तियों को वर्ष 2003 तक और वर्ष 2007 (दसवीं योजना) तक सभी योग्य बस्तियों को आवृत्त करना था। इसके अतिरिक्त, राज्यों द्वारा संचालित वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर योग्य बस्तियों की संख्या को 1,72,772 तक संशोधित किया गया था।

ग्रामीण संयोजकता को तीव्रता प्रदान करने के लिए भा.स. द्वारा ग्रामीण अवसंरचना जिसमें उप-सेट के रूप में ग्रामीण सड़क शामिल है, उसके लिए प्रमुख व्यापार योजना के रूप में भारत निर्माण एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया (फरवरी 2005) जिसमें वर्ष 2009 के अंत तक 1000 की जनसंख्या (पहाड़ी राज्यों, जनजातीय एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों के मामले में 500) की बस्तियों को बारहमासी सड़क संयोजकता प्रदान करना परिकल्पित किया गया था।

योजना अवधि के दौरान कार्यक्रम की कुल भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां नीचे दी गई है:

तालिका - 5.1 : योजना अवधि के दौरान भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां

विवरण	दसवीं योजना तक (मार्च 2007 तक)		ग्यारहवीं योजना (2007-12)		बारहवीं योजना* (2012-17)	
वित्तीय प्रगति						
राज्यों को जारी किया गया (₹ करोड़ में)	22,610.65		78,833.00		19,708.71	
व्यय (₹ करोड़ में)#	21,012.04		70,470.98		38,020.39	
भौतिक प्रगति						
	प्रस्तावित	प्राप्त	प्रस्तावित	प्राप्त	प्रस्तावित	प्राप्त
बस्तियों की संख्या	42,736	36,605	78,304	47,809	31,039[3]	24,223
लम्बाई (कि.मी. में)						
नई संयोजकता	95,960	86,716	1,65,244	1,22,855	62,761	66,397
मरम्मत	83,757	33,862	1,92,464	1,07,069	57,957	19,420
कुल	1,79,717	1,20,578	3,57,708	2,29,924	1,20,718	85,817

* स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई
सूचना केवल 2012-15 के लिए आंकड़े
व्यय के आंकड़ों में राज्य अंश, अर्जित ब्याज और पूर्व अप्रयुक्त शेष का व्यय भी शामिल हैं।

इस प्रकार 1,78,184[4] योग्य बस्तियों में से 1,08,637 मार्च 2015 तक संबद्ध किए जा चुके थे और मंत्रालय ने मार्च 2019 तक शेष 69,547 बस्तियों को जोड़ने की योजना की थी।

[3] 12वीं योजना अवधि के अंतर्गत, संयोजकता हेतु प्रस्तावित बस्तियों की संख्या 51,732 थी। वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए प्रस्तावित बस्तियों को आनुपातिक आधार, अर्थात् 51,732 * 3/5 = 31,039 पर गणना की गई है।

[4] *12वीं एफवाईपी तक यह 1,72,772 (42,736+78,304+51,732) था जिससे वर्ष 2013 में 1,78,184 तक संशोधित किया गया था।*

5.3 पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रगति

5.3.1 वित्तीय प्रगति

2010-11 से 2014-15 के दौरान, वर्ष-वार प्रावधान, निधियों का निर्गम और उपयोगिता नीचे दिया गया है:

तालिका-5.2 : निधि प्रावधान और उपयोगिता

(₹करोड़ में)

वर्ष	बजट		निर्गम			उपयोगिता		
	बजट अनुमान	संसोधित अनुमान	राज्यों	एनआरआरडीए/अन्यों	कुल	राज्यों द्वारा$^{\mu}$	एनआरआरडीए/अन्यों द्वारा	कुल
2010-11	12,000	22,000§	20,366.04	2,033.76	22,399.80§	14,910.98	2,101.94	17,012.92
2011-12	20,000	19,981	15,809.40	3,532.50	19,341.89	10,946.41	3,524.67	14,471.08
2012-13	24,000	8,885	4,388.93	4,495.07	8,884.00	8,386.75	4,545.17	12,931.92
2013-14	21,700	9,700§	5,360.23	4,444.74	9,804.97§	13,095.29	4,410.51	17,505.80
2014-15	14,391	14,200	9,959.59	4,228.80	14,188.39	16,538.35	4227.03	20,765.38
कुल	**92,091**	**74,766**	**55,884.19**	**18,734.87**	**74,619.05**	**63,877.78**	**18,809.32**	**82,687.10**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

μ : राज्य अंश और अर्जित ब्याज का व्यय भी शामिल

£ : ऋण के पुर्नभुगतान और उस पर ब्याज हेतु

$\S$: पीएमजीएसवाई. से अन्य योजनाओं की बचतों से निधियों के पुर्नविनियोग के कारण अतिरिक्त निर्गम हुआ था।

निर्गम एवं व्यय के राज्य एवं वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-5.1** में दिए गए हैं।

उपरोक्त से यह स्पष्ट था कि 2010-12 के दौरान, राज्यों ने केन्द्रीय सहायता का पूरा उपयोग नहीं किया था जिसके कारण 2012-14 के दौरान इसमें कटौती हुई थी।

मंत्रालय ने 2012-13 और 2013-14 के दौरान संशोधित अनुमान स्तरों पर काफी कटौती के मुख्य कारण राज्यों के पास अत्यधिक अव्ययित शेषों की उपलब्धता और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की धीमी गति थे।

5.3.2 भौतिक प्रगति

पिछले पांच वर्षों की भौतिक प्रगति **तालिका 5.3** में दर्शायी गयी है:

तालिका-5.3 : वर्ष-वार भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां

वर्ष	बस्तियों की संख्या		लंबाई (कि.मी.)	
	लक्ष्य	बस्ती संयोजकता	लक्ष्य	पूरी की गई लम्बाई
2010-11	4,000	7,584	34,090	45,108.52
2011-12	4,000	6,537	30,566	30,994.50
2012-13	4,000	6,864	30,000	24,161.28
2013-14	3,500	6,560	26,950	25,316.39
2014-15	4,688	10799	21,775	36,339.48
कुल	**20,188**	**38,344**	**1,43,381**	**1,61,920.17**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

राज्य एवं वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-5.2** में दिए गए हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति लक्ष्य से अधिक थी। यह संकेत करता है कि लक्ष्य वास्तविक रूप से तय नहीं किए गए थे। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2016) कि आवंटनों को काफी हद तक बजट अनुमान से संशोधित अनुमान तक बदल दिया गया था परंतु इनके भौतिक लक्ष्य वही थे। उत्तर उचित नहीं था क्योंकि कम आवंटन के बावजूद, लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि अधिक थी।

5.4 वित्तीय रिपोर्टिंग का मेल न खाना

मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार (तालिका 5.2), 2010-15 के दौरान केन्द्र ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 29 राज्यों में ₹55,884.19 करोड़ जारी किए थे। हालांकि, यह आंकड़े राज्य सरकारों से एकत्रित डाटा से भिन्न है जिन्हें **तालिका-5.4** में दिया गया है।

तालिका-5.4: वित्तीय रिपोर्टिंग का मेल न खाना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	29 राज्यों के संदर्भ में मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना/डाटा		निधि उपलब्धता एवं राज्यों द्वारा किया गया व्यय (29 राज्यों द्वारा प्रदत्त सूचना से एकत्रित डाटा)						अंतर	
	राज्यों को निर्गम	व्यय	अथ शेष	केन्द्रीय शेष	राज्य निर्गम	विविध प्राप्तियां	कुल	व्यय	निर्गम में	व्यय में
2010-11	20366.04	14910.98	2984.73	19686.67	682.37	431.05	23784.82	15429.82	679.37	-518.84
2011-12	15809.40	10946.41	8355.00	16292.04	580.20	579.37	25806.61	10978.19	-482.64	-31.78
2012-13	4388.93	8386.75	14826.42	4303.41	531.65	1298.66	20960.14	9106.74	85.52	-719.99
2013-14	5360.23	13095.29	11850.42	5247.68	1376.74	707.74	19182.58	13697.69	112.55	-602.40
2014-15	9959.59	16538.35	5484.89	10076.37	1326.61	618.11	17505.98	16782.71	-116.78	-244.36
कुल	**55884.19**	**63877.78**	**43501.46**	**55606.17**	**4497.57**	**3634.93**	**107240.13**	**65995.15**	**278.02**	**-2117.37**

स्रोत: मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

2010-15 के दौरान अथ शेष, केन्द्रीय एवं राज्य अंश की प्राप्ति, ब्याज एवं व्यय के राज्य-वार विवरण **अनुबंध-5.3.1** से **5.3.5** में दिया गया है।

जारी की गई निधि और प्राप्ति में प्रमुख भिन्नताएं **बिहार, झारखंड, ओड़िशा, त्रिपुरा एवं उत्तर प्रदेश (अनुबंध-5.4.1)** के राज्यों में पाई गई थीं। इसी प्रकार, व्यय के आंकड़ों में प्रमुख भिन्नताएं **आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडीशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल (अनुबंध-5.4.2)** के राज्यों में पाई गई थीं।

मंत्रालय एवं राज्यों के डाटा के समाधान की आवश्यकता है क्योंकि यह डाटा समग्रता की कमी को दर्शाता है।

मंत्रालय ने वित्तीय रिपोर्टिंग में तथ्यों के मेल न खाने के तथ्यों को स्वीकार किया और उत्तर दिया कि आंकड़ों का समाधान किया जा रहा था तथा अधिकतर राज्यों ने यह कार्य कर लिया था। मंत्रालय का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि समाधान किए गए डाटा का विवरण प्रदान नहीं किया गया है।

5.5 राज्यों को निधियों के निर्गम में कमियां

राज्यों की निधियों को दो बराबर की किस्तों में जारी किया जाता है। जबकि प्रथम किस्त परियोजनाओं की अनुमेय राशि का 50 प्रतिशत जारी किया जाता है

(या वार्षिक आवंटन, जो भी कम हो), द्वितीय किस्त का निर्गम उपलब्ध निधियों के 60 प्रतिशत के उपयोग और पिछले वर्ष से पूर्व के वर्ष में प्रदत्त 80 प्रतिशत सड़क निर्माण कार्यों के पूरा होने तथा उस वर्ष से पूर्व के सभी प्रदत्त निर्माण कार्यों के 100 प्रतिशत तथा अपेक्षित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण की शर्त पर होगा।

लेखापरीक्षा ने राज्यों को निधियों के गैर/कम/विलंबित निर्गम होने के उदाहरण पाए थे। मंत्रालय ने इनका कारण (फरवरी 2016) निधियों की गैर-उपलब्धता, राज्यों द्वारा दस्तावेजों का गैर/विलम्ब से प्रस्तुतीकरण, राज्यों द्वारा द्वितीय किस्त के निर्गम हेतु निर्मित परिस्थितियों को पूरा न करना तथा सड़क निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति/निधियों को न/कम/विलंबित निर्गम का विस्तृत विश्लेषण **अनुबंध-5.5** में दिया गया है।

मंत्रालय ने कम निर्गम का तथ्य स्वीकार (अप्रैल 2016) किया और उत्तर दिया कि राज्यों को संस्वीकृत निर्माण कार्य उनके आबंटन से दो से तीन गुणा थे जिसके कारणवश कार्य आगामी वर्षों तक पहुंच गया और संशोधित अनुमान स्तर में आबंटनों में कटौती हुई थी।

5.6 राज्य सरकारों द्वारा निधियों के अंतरण में विलंब

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार (समय-समय पर परिवर्तित), 2014-15 से, अपनी प्राप्ति की तिथि से तीन दिनों के भीतर एसआरआरडीए के खाते को इन निधियों के अंतरण के निर्देशों के साथ राज्य समेकित निधि को यह निधियां जारी की जाती हैं ऐसा न होने पर निर्दिष्ट अवधि से अधिक विलंब की अवधि हेतु प्रति वर्ष 12 प्रतिशत के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार को करना पड़ेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 11 राज्यों **(आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान एवं उत्तराखण्ड)** में, 2014-15 के दौरान ₹2,693.89 करोड़ तक की जारी की गई निधियों को 7 से 202 दिनों के विलंबों के साथ एसआरआरडीए को अंतरित किए थे। परिणामस्वरूप, एसआरआरडीए को राज्य ₹50.37 करोड़ के ब्याज के भुगतान के लिए जिम्मेदार है। तीन राज्यों **(आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश और कर्नाटक)** में 2014-15 के दौरान प्राप्त ₹89.32 करोड़ की निधियां मई/सितम्बर 2015 तक संबंधित एसआरआरडीए को अंतरित नहीं की गई थीं (**अनुबंध-5.6**)।

मंत्रालय ने एसआरआरडीए को निधियों के विलंब के तथ्य को स्वीकार किया (अप्रैल 2016) ओर उत्तर दिया कि मंत्रालय द्वारा सख्त हस्तक्षेप के पश्चात्, विलंब को काफी हद तक कम कर दिया गया था।

5.7 विशेष आबंटन के अंतर्गत निधि का जारी न किया जाना

कार्यक्रम दिशानिर्देशों का पैरा 5.3 यह प्रावधान करता है कि राज्यों को आबंटन के अतिरिक्त, डीजल उपकर के ग्रामीण सड़क अंश से वार्षिक आबंटन के पांच प्रतिशत तक का विशेष आवंटन अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जुड़ने वाले राज्यों, चयनित जनजातीय एवं पिछड़े जिलों एवं अत्यधिक पिछड़े जिलों और अनुसंधान एवं विकास (आर एवं डी) परियोजनाओं और पहल को उपलब्ध करवाया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इस प्रावधान के अंतर्गत किसी भी योग्य राज्य को विशेष आवंटन नहीं मिला था।

5.8 ब्याज की हानि

ओएम का पैरा 13.1.4 प्रदान करता है कि कार्यक्रम एवं प्रशासनिक व्यय निधि में ₹0.50 करोड़ से अधिक की सभी निधियों को 91 दिन खजाना बिलों की ब्याज दर वाले सावधि जमा के रूप में बैंक में अनुरक्षित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच राज्यों **(जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम एवं त्रिपुरा)** इस प्रावधान के अंतर्गत उच्चतर ब्याज दरों का लाभ उठाने में विफल हुए थे।

पंजाब में, बचत खाते की बजाय निधियां चालू खाते में रखी गई थी जिसके कारणवश ₹1.21 करोड़ के ब्याज की हानि हुई थी।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2016) कि उसने अधिशेष कार्यक्रम निधि वाले राज्यों के साथ मामले का अनुसरण किया था। हालांकि, यह स्पष्ट है कि मंत्रालय के प्रयास अप्रभावी थे।

5.9 अर्जित ब्याज पर आयकर छूट का लाभ न उठाना

एसआरआरडीए एक गैर-लाभकारी निकाय है और इसलिए आयकर अधिनियम की धारा-12 क क के अंतर्गत छूट के लिए योग्य है।

यह भी पाया गया कि छ: राज्यों {**हिमाचल प्रदेश** (7.04 करोड़), **जम्मू एवं कश्मीर** (7.62 करोड़), **ओडिशा** (12.32 करोड़), **पंजाब** (4.55 करोड़), **त्रिपुरा**

(13.13 करोड़) और **उत्तराखण्ड** (0.64 करोड़)} में, एसआरआरडीए ने अपेक्षित छूट की मांग नहीं की थी, जिसके कारणवश, बैंकों द्वारा ब्याज की प्राप्ति पर ₹45.30 करोड़ तक की राशि का टीडीएस काटा गया था। एसआरआरडीए, **त्रिपुरा** ने भी मार्च 2015 का आयकर पर देरी शुल्क के रूप में ₹0.72 करोड़ का भुगतान भी किया था (मार्च 2015)।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2016) कि उसने राज्यों के साथ मामले का अनुसरण किया था और बैंकों के ऊपर आयकर की कटौती न करने के लिए दबाव डाला था। हालांकि, यह स्पष्ट है कि मंत्रालय के प्रयास अप्रभावी थे।

5.10 निधियों का विपथन

अभिप्रेत उद्देश्यों से निधियों का विपथन अपेक्षित उद्देश्यों हेतु निधि उपलब्धता को कम करने के बावजूद खराब निधि प्रबंधन दर्शाता है।

आठ राज्यों **(हरियाणा** (₹0.02 करोड), **कर्नाटक** (₹3.48 करोड़), **केरल** (₹2.74 करोड़), **मिजोरम** (₹1.33 करोड़), **सिक्किम** (₹3.83 करोड़), **तमिलनाडु** (₹5.66 करोड़), **उत्तर प्रदेश** (₹4.64 करोड़) और **उत्तराखण्ड** (₹3.45 करोड़) में, ₹25.15 करोड़ की कार्यक्रम निधि का रखरखाव निधि, प्रशासनिक व्यय निधि, सामग्री की जांच, राज्य सरकार योजनाएं, वेतन एवं मजदूरी एवं मिट्टी की ढुलाई, वृक्षारोपण, क्षतिग्रस्त संपत्तियों का नवीकरण, आदि जो कि कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं थे के प्रति विपथन किया।

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के उल्लंघन में पीएमजीएसवाई निधियों से भूमि अधिग्रहण हेतु दो राज्यों में {**राजस्थान** (₹1.50 करोड़) और **उत्तर प्रदेश** (₹0.02 करोड़)}, ₹1.52 करोड़ का उपयोग किया गया था।

पांच राज्यों **(केरल** (₹7.25 करोड़), **मणिपुर** (₹0.42 करोड़), **तमिलनाडु** (₹0.44 करोड़), **त्रिपुरा** (₹**2.25 करोड़**) और **उत्तराखण्ड** (₹1.13 करोड़) में ₹11.78 करोड़ की प्रशासनिक निधियों का अस्वीकार्य मदों जैसे वाहनों का क्रय**,** वेतनों एवं मजदूरी का भुगतान और इमारतों का क्रय या निर्माण**,** आदि के प्रति विपथन किया गया।

मामला अध्ययन: बिहार, झारखण्ड, त्रिपुरा

कार्यक्रम दिशानिदेशों के पैरा 12.3 के अनुसार, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यों के लिए कोई अभिकरण प्रभार स्वीकार्य नहीं होगा। यदि निष्पादन अभिकरण किसी भी प्रकार के प्रभार जैसे कि सेंटेज प्रभार (निष्पादन अभिकरणों द्वारा लगाया गया छोटा शुल्क), आदि, तो इसे राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। इसके उल्लंघन में तीन राज्यों, **बिहार, झारखण्ड** एवं **त्रिपुरा** के लिए अभिकरण प्रभार के रूप में मंत्रालय द्वारा ₹368.79 करोड़ का व्यय किया गया था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2016) कि मंत्रालय के कानून मंत्रालय और आंतरिक वित्त विभाग द्वारा उचित रूप से पुनरीक्षित एवं सहमति जताकर मंत्रालय, राज्य सरकार एवं केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के बीच त्रिपक्षीय अनुबंधों के माध्यम से सीपीएसयू को लगाकर इन राज्यों की निष्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए इन राज्यों को विशेष छूट प्रदान की थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि ऐसा कोई प्रावधान कार्यक्रम दिशानिर्देशों में मौजूद नहीं था।

5.11 खातों में विसंगतियां

पीएमजीएसवाई खाता नियम पुस्तिक के अनुसार, एसआरआरडीए से खाते पुस्तिकाओं का अलग सेट अर्थात् रोकड़ पुस्तिका, बैंक प्राधिकरण, अंतरण प्रविष्टि पुस्तिका, डेबिट की खाता बही और क्रेडिट शेष, पीआईयू वार कार्यक्रम निधि रजिस्टर, पीआईयू वार बैंक प्राधिकरण रजिस्टर और लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का उपयोग करके प्रशासनिक निधि के साथ-साथ कार्यक्रम निधि के लिए पीआईयू के साथ बकाया बैंक प्राधिकरण अनुरक्षित करना अपेक्षित है।

आंध्र प्रदेश में पीआईयू अनन्नतपुर द्वारा रोकड़ बहीयॉ बंद नहीं की गई। विजयानागरम और एसपीएस और नैलोर जिलों में अंतिम शेषों को आहरण एवं विवरण अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, का पीआईयू अनन्नतपुर में 2004-05 से आज तक (जुलाई 2015) समाधान नहीं किया गया था।

जम्मू एवं कश्मीर में, 2010-11 से 2013-14 के लिए सहायक खातों के अपेक्षित अभिलेख राज्य/पीआईयू स्तर पर तैयार नहीं किए गए थे और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने प्राप्ति एवं भुगतान खातों, आय एवं व्यय खातों तथा अन्य सहायक खातों को तैयार किए बिना ही तुलन पत्र को अंतिम रूप दे दिया था।

झारखण्ड में एनपीसीसी द्वारा प्रस्तुत की गई रोकड़ बही व ऑडिटिड लेखाओं से ज्ञात हुआ कि 2010-15 के दौरान ठेकेदारों के बिलों से काटी गई आयकर वाणिज्यीकर श्रमिक उपकर और रायॅल्टी की ₹54.25 करोड़ की राशि को रोकड़ बही में नहीं लिया गया। इसी प्रकार से, सिक्योरीटी डिपाजिटस की कटौती को भी रोकड़ बही में नहीं दिखाया गया। रोकड़ बही को मासिक आधार पर बंद नहीं किया गया और रोकड़ बही में कभी भी अंतिम शेष नहीं निकाले गए। इसके अतिरक्त, सक्षम अधिकारियों द्वारा रोकड़ बहियों का सत्यापन नहीं किया गया। जिन मंडलों की नमूना जॉच की गई उनमें से किसी के भी द्वारा बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया।

कर्नाटक में मार्च 2015 के वार्षिक लेखाओं में अंतिम शेष ₹54.71 करोड़ था। तथापि पीआईयू द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरे में इसे ₹54.85 करोड़ दिखया गया। जिन मण्डलों की नमूना जॉच की गई उनमें से किसी के भी द्वारा बैंक-समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया।

तेलंगाना में, महबूबनगर जिले में रोकड़ बहियॉ प्रतिदिन के आधार बंद नहीं की गई तथा 2010-11 से अभी तक (जून 2015) खातों का समाधान नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश में, बैंक द्वारा जमा राशि रोकड़ बही में न पाये जाने, बैंक द्वारा डबल डेबिट तथा बैंक में जमा किए गए चैकों का समाशोधन न होने के मामले सामने आए।

विसंगतियों का परिशोधन नहीं किया गया जिसके कारण वार्षिक लेखाओं द्वारा वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाया गया।

उत्तराखण्ड में, महत्वपूर्ण मासिक पुस्तकें/खातों की अनुसूची को इन खातों की अनुसूचियों का ओम्मास में उपलब्ध होने के कारण राज्य नोडल अभिकरण द्वारा भौतिक रूप से अपने वार्षिक खातों (तुलन पत्र एवं संबद्ध अनुसूची) को अनुरक्षित नहीं किया जा रहा था। हालांकि, ओम्मास में डाटा की अनुसूचियां विश्वसनीय नहीं थी और यूआरआरडीए के लेखापरीक्षित तुलन पत्रों से मेल नहीं खाते थे।

5.12 निधियों का अवरोधन

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2001-05 के दौरान तीन संघ शासित क्षेत्रों {**अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** (₹8.31 करोड़), **दादरा एवं नागर हवेली** (₹13.84 करोड़) और **दिल्ली** (₹5 करोड़)} को जारी ₹32.15 करोड़ की कार्यक्रम निधि अप्रयुक्त थी (मार्च 2015)। 2001-02 में जारी ₹5 करोड़ में से, **गोवा** में ₹0.44 करोड़ का प्रयोग हुआ और पिछले 15 वर्षों के दौरान अर्जित ब्याज के साथ संग्रहित अप्रयुक्त राशि ₹9.91 करोड़ हो गई थी।

कर्नाटक में, (₹4.41 करोड़) में बोली में भाग लेने वाले ठेकेदार से वसूला गया आवेदन शुल्क को एक पृथक खाते में रखा गया व उसे राज्य के नोडल अभिकरण के खातों में नहीं दिखाया गया।

निष्कर्ष

राज्यों के पास बचे हुए अप्रयुक्त शेष के कारण पिछले तीन वर्षों (2012-15) में कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए राज्यों को जारी की जाने वाली निधि में व्यापक रूप से कटौती की गई। कार्यक्रम निधियों का गैर/अपूर्ण/विलम्बित निर्गमन, अंतराष्ट्रीय सीमाओं को शेयर करने वाले राज्यों द्वारा कार्यकम के तहत पॉच प्रतिशत अतिरक्त आबंटन का लाभ न लेने के उदाहरण भी सामने आए। कार्यक्रम निधियों का विपथन किया गया व अमान्य मदों के लिए उपयोग किया गया। कार्यक्रम के तहत निर्गमन और व्यय के मंत्रालय के आंकड़े राज्य सरकारों के आंकड़े से मेल नहीं खाते।

अनुशंसाएं

- राज्य सरकारों को विशेष उद्देश्यों के लिए जारी निधियों का विपथन न होना सुनिश्चित करना चाहिए।
- राज्यों को वार्षिक वित्तीय व भौतिक लक्ष्यों को पूरा करने तथा रखी गई अधिशेष व अप्रयुक्त निधियों को इष्टतम रूप से प्रतिधारित करने के प्रयास करने चाहिए।
- मंत्रालय को राज्यों के पास निर्गम निधियों तथा व्यय के डाटा का समाधान करने हेतु एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।